है। सचिव/मंत्री के स्तर पर योजना की मानिटरिंग की जा रही है। 8वीं योजना में 8.65 करोड़ रुपए की राशि का व्यय किया गया।

Prohibition in Haryana and Loss suffered by State

2406. SHRI LACHHMAN SINGH: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government of Haryana has introduced total prohibition in Haryana;

(b) whether Government of India have compensated the loss suffered on account of prohibition of the State; and

(c) if so, the extent of compensation?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI BALWANT SINGH RAMOOWALIA): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) There is no Scheme with the Government of India for compensating the loss suffered on account of implementation of prohibition in the State.

विकलांग व्यक्तियों हेतु केन्द्रीय समन्वय समिति

2407. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला:** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विकलांग व्यक्तियों हेतु केन्द्रीय समन्वय समिति गठित की गई है और उसमें गुजरात को शामिल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विकलांग बच्चों की सहायता हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इस दिशा में समन्वय समिति की भूमिका क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया): (क) और (ख) दिनांक 21 फरवरी, 1997 को भारत सरकार द्वारा सा०आ० 133(ई) के तहत भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग-2 खण्ड-3 उपखण्ड (2) में केन्द्रीय समन्वय समिति के गठन को अधिसूचित किया गया है। खण्ड 3(2)ट में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से चक्रानुक्रम आधार 4 सदस्यों के प्रतिनिधित्व का प्रावधान है। गुजरात को इस बार शामिल नहीं किया गया है।

(ग) 4 राष्ट्रीय संस्थानों तथा 2 शीर्ष स्तरीय संस्थानों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के अतिरिक्त, निम्नलिखति 5 योजनाओं के अंतर्गत कल्याण मंत्रालय से सहायता अनुदान प्राप्त कर रहे गैर-सरकारी संगठन भी बच्चों सहित विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए कार्यक्रम चलाते हैं:—

(1) विकलांगों के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता।

(2) विकलांग व्यक्तियों के लिए सहायक यंत्र और उपकरण की खरीद/फिटींग की सहायता योजना।

(3) कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता।

(4) विशेष स्कूलों की स्थापना और विकास की योजना।

(5) मानसिक मंदता और प्रमस्तिष्क अंगघात के क्षेत्र में जनशक्ति विकास के लिए संगठनों को सहायता।

(घ) विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 8(1) के अनुसार केन्द्रीय समन्वय समिति का कार्य विकलांगता के मामलों में राष्ट्रीय केन्द्र बिन्दु के रूप में काम करना और विकलांग व्यक्तियों द्वारा सामना की गई समस्याओं का समाधान करने के लिए विस्तृत नीति के निरंतर विकास की व्यवस्था करना होगा।

Construction of National Public Library in the name of Dr. B.R. Ambedkar

2408. SHRI GUNDAPPA KORWAR:
SHRI K.R. JAYADEVAPPA:

Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government have taken any steps to construct National Public Library in Delhi in the name of Dr. B.R. Ambedkar as decided in 1991;

(b) if so, the details thereof;

(c) if not, the reasons thereof;